



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231631
CG-DL-E-06122021-231631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943
No. 362]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

सं. 41 / 2015—2020

विषय: दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 12 के आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज-अन्य का आयात।

फा. सं. 01/53/08/विविध/एम-22/एम-1/आईसी.—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना 03/2015—20 दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के क्रम में महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज-अन्य के आयात की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:

1. संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, 01.01.2022 से 31.03.2022 तक उक्त आयात **15,000 मीट्रिक टन** से अधिक नहीं होगा। तदनुसार डीजीएफटी इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से और अधिकतम **13.12.2021** तक तरबूज के बीज-अन्य (आईटीसी (एचएस) 12077090) के आयात प्राधिकार पत्र के लिए निम्नानुसार नए आवेदन आमंत्रित करता है:

- आवेदनों को जहां आयातक-निर्यातक कोड (आईसीसी) जारी करने की तारीख इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को या उसके बाद है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदनों पर वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर प्रोसेसर के लिए उनकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

- iii. प्रत्येक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, आवेदकों को केन्द्रीय/राज्य/जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी, जिसमें इसकी प्रोसेसिंग क्षमता दर्शायी गयी हो। प्रमाण पत्र इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने से पहले की तिथि का होना चाहिए।
 - iv. ऑनलाइन आवेदन के साथ एक वैध एफएसएसआई लाइसेंस प्रदान करना आवश्यक है।
 - v. एक आईसीसी के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा।
2. प्रत्येक पात्र आवेदक हेतु आयात प्राधिकार-पत्र को प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.51 के अंतर्गत एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) के निर्णयानुसार अधिसूचित किया जाएगा। आवेदनों की जांच करते समय ईएफसी अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की मासिक/वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता और पूर्व में उसके द्वारा किए गए आयात को ध्यान में रखेगी। डीजीएफटी किसी भी समय उचित समझने पर आवंटन में कोई परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. सभी आयात प्राधिकार पत्र धारक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्राधिकार-पत्रों हेतु आयात खेप दिनांक 31.03.2022 को या इससे पूर्व भारतीय पत्तनों पर पहुंच जाएं।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की समयावधि हेतु तरबूज के बीज-अन्य (आईटीसी (एचएस) 12077090) के लिए आयात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदनों को आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.12.2021 है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th December, 2021

No. 41/2015-2020

Subject : Import of Water Melon Seeds - Other under ITC(HS) 12077090 of Chapter-12 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) for the period of 01.01.2022 to 31.03.2022

F. No. 01/53/8/Misc/AM22/M-1/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 and in continuation to Notification 03/2015-20 dated 26th April 2021, the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the procedure for import of Water Melon Seeds - Other under ITC(HS) 12077090 for the period of 01.01.2022 to 31.03.2022 as follows –

1. As per the recommendation from the concerned ministry, the said imports from 01.01.2022 till 31.03.2022 shall not exceed **15,000 MT**. Accordingly, DGFT invites fresh applications for import authorisation for Water Melon Seeds – Other (ITC(HS) 12077090) with effect from the date of this Public Notice and not later than **13.12.2021** as follows -

- i. Applications where the date of issuance of their Importer-Exporter Code (IEC) is on or after the date of this Public Notice shall not be considered.
- ii. The applications shall be considered on Actual User basis to processors only based upon their own processing capacity.
- iii. For each processing unit, applicants shall provide self-certified copy of a document issued by Central/State/District Authorities, indicating its processing capacity. The certificate should be dated prior to issue of this Public Notice.
- iv. A valid FSSAI License is required to be provided along with the online application.
- v. Only one application against one IEC shall be considered.

2. The import authorisation for each eligible applicant shall be notified as per the decision of the Exim Facilitation Committee (EFC) under para 2.51 of the HBP 2015-20. The EFC, while examining the applications will take into considerations; inter alia, the monthly/annual processing capacity and earlier imports of the applicant. DGFT reserves the right to make any changes in the allocation as deemed fit at any point of time.

3. All import authorisation holders shall ensure that the import consignments against the said authorisations reach the Indian ports on or before 31.03.2022.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

Effect of this Public Notice:

Applications are invited for import authorisation for Water Melon Seeds–Other (ITC(HS) 12077090) for the period of 01.01.2022 to 31.03.2022. The last date for submission of online applications is 13.12.2021

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.